राजस्व वाद संख्या 91/2021 उनवान लक्ष्मणराम वगैरा बनाम खुशालाराम वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 91/2021

अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1. लक्ष्मणराम पुत्र बांकाराम 2. पुनमाराम पुत्र बांकाराम 3. सताराम पुत्र बांकाराम 4. मुकाराम पुत्र बांकाराम 5. शेरू बेवा बांकाराम 6. चोखाराम पुत्र जगरूपाराम 7. रेखाराम पुत्र जगरूपाराम जातियान जाट निवासीगण जाटों का बेरा तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. खुशालाराम पुत्र अखाराम 2. रेखाराम पुत्र चिमाराम 3. सितादेवी पत्नी चिमाराम 4. भागुराम पुत्र अखाराम जातियान मेघवाल निवासीगण जाटों का बेरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 5. तहसीलदार सेड़वा

उपस्थित :प्रार्थीगण वकील – श्री वीरमाराम धारासर

दिनांक 24.02.2025

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण लक्ष्मणराम पुत्र बांकाराम वगैरा जातियान जाट निवासी जाटों का बेरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण का प्रारंभ में सामलाती खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 683/390 रकवा 30 बीघा का आया हुआ है। उपर्युक्त आराजी का समस्या समाधार शिविर में पक्षकारान के मध्य विभाजन हुआ तथा इस विभाजन से संयुक्त खातेदारी के इस खेत के पृथक–पृथक नवीन खसरा नम्बर कायम होकर रकवा विभाजित हुआ, इस विभाजन का नामान्तरकरण खोला गया रकबे के विभाजन में कोई त्रुटि नहीं है। लट्टा ट्रेस में विभाजन की लाईनें मौके की बिना पैमाईश किए हल्का पटवारी ने समस्या समाधान शिविर स्थल पर विना मौके की पैमाईश किए खींच दी तथा पक्षकारान यथास्थिति यथावत पूर्वानुसार काविज है। खसरा नंबर 390 रकबा 92.04 बीघा से नवीन खसरा नम्बर 683/390 रकवा 30 बीघा खसरा नम्बर 682/390 रकबा 62.04 बीघा कुल रकबा 92.04 बीघा बने जो प्रार्थीगण की खातेदारी में है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की पैमाइश का आदेश श्रीमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:52:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

तहसीलदार से करवाया। इस आदेश पर हल्का पटवारी ने लट्टा ट्रेस से खेत की पैमाईश की तो जानकारी में आया कि आराजी के विभाजन के समय समस्या समाधान शिविर में मूल खसरा नम्बर 390 को विभक्त करते हुए जो लट्टा ट्रेस में तरमीम की लाईनें डाली है वह गलत है। ये लाईनें कब्जे से भिन्न प्रार्थीगण व उसके सह खातेदारान विप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 की खातेदारी कब्जे के भीतर आती है और इससे कब्जा प्रभावित होता है। अगर इस त्रुटिपूर्ण तरमीम से खेत की पैमाईश की जाए तो प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के कब्जे व हिस्से में रकबा ज्यादा आता है जबकि रेकर्ड में दोनों पक्षों का रकबा बराबर है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार सेड़वा को तरमीम दुरुस्ती संबंधी कार्रवाई कर लट्टा ट्रेस की स्थिति को सही कराने हेतु निवेदन किया तो विप्रार्थीगण संख्या 5 ने ऐसी कार्रवाई कराने से इनकार किया तथा यह भी प्रकट किया कि वे पैमाईश कर मौजूदा कब्जा अनुसार स्थिति मजबूत कर दे लेकिन तहसीलदार सेड़वा द्वारा इनकार करने पर तरमीम प्रविष्टि की दुरुस्ती व बाद दुरुस्ती प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की कृषि जोत की तरमीम दुरुस्ती हेतु यह आवेदन पेश करने की आवश्यकता है। आवेदन माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से पेश है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर मौजा जाटों का बेरा में प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 683/390 रकबा 30 बीघा व विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 682/390 रकबा 62.04 बीघा कुल रकबा 92.04 बीघा के मध्य खींची गई तरमीम लाईनों को मूल खसरा नंबर 390 के सह खातेदारों के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरुस्त करने के आदेश फरमावें। यह भी निवेदन है कि तरमीम दुरुस्ती हेतु तहसीलदार सेड़वा से पक्षकारों के रूबरू मौका रिपोर्ट मंगवाकर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर अनुमोदित किया जाए व बाद अनुमोदित लट्टा ट्रेस में तरमीम कराई जाकर दोनों पक्षों के मध्य दुरुस्त तरमीम अनुसार पैमाईश की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:52:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक रीडर/2023/1168 दिनांक 07.07.2023 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2023/4230 दिनांक 19.12.2023 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन "ग्राम जाटों का बेरा के खसरा संख्या 683/390 रकबा 4.8562 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि पुनमा, मुका, लक्ष्मण, सता पिता बांका शेरू पत्नी बांका, चौखा, रेखा पिता जयरूपा जाति जाट साकिन जाटों का बेरा तथा खसरा नम्बर 682/390 रकबा 10.0686 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि खुशालाराम, भागूराम पिता अखाराम रेखाराम, सीताराम पिता चिमनाराम जाति मेघवाल साकिन पांधी का निवाण के नाम खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम जाटों का बेरा(मूल ग्राम सारला) के मूल खसरा संख्या 390 कुल रकबा 92.04 बीघा(14.9248 हैक्टेयर) में से प्रार्थीगण के पिता श्री जयरूपाराम को 30.00 बीघा (4.8562 हैक्टेयर)तथा विप्रार्थीगण के पिता श्री अखाराम को 62.04 बीघा(10.0686 हैक्टेयर) भूमि श्रीमान परगना अधिकारी बाड़मेर के आदेश संख्या 952 दिनांक 14.07.1971 के द्वारा भूमि आवंटन हुई थी जिसकी लट्टा ट्रेस में तरमीम करते समय कब्जा काश्त से भिन्न तरमीम कर दी गई। प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 682/390 रकबा 10.0686 हैक्टेयर का अंकन कर दिया गया तथा विप्रार्थी के कब्जा काश्त में प्रार्थीगण के खसरा संख्या 683/390 रकबा 4.8562 हैक्टेयर का अंकन किया गया तथा लट्टा ट्रेस में अंकित तरमीम अनुसार तहसील ऑनलाईन के समय भू-नक्शा में तरमीम की गई। मौके पर उपस्थित खसरा संख्या 683/390 के खातेदारान, मौतबरान एवं सेढा पड़ौसियान ने बताया कि खसरा नंबर 683/390 एवं 682/390 का कब्जा काश्त भूमि आवंटन के समय से ही वर्तमान कब्जा काश्त, रहवासी झोंपड़े एवं खेत में बने ट्यूबवेल के अनुसार संलग्न नक्शे में बरंग हरे से प्रस्तावित की गई है तथा खसरा संख्या 682/390 रकबा 10.0686 हैक्टेयर में विप्रार्थीगण के कब्जा काश्त, ट्यूबवेल, विद्युत कनेक्शन तथा बंटाईदारों की तीन रहवासी ढाणियां बनी

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:52:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

हुई है। विप्रार्थीगण के कब्जा–काश्त अनुसार संलग्न नक्शे में तरमीम बरंग पीले रंग से प्रस्तावित की गई है।'

प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के सम्मन पूर्व में तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 91/2021 उनवान लक्ष्मणराम वगैरा बनाम खुशालाराम वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन तहसील सेड़वा के पटवार मण्डल सारला के ग्राम जाटों का बेरा के खसरा संख्या 683/390 रकबा 30 बीघा(4.8562 हैक्टेयर) व खसरा संख्या 682/390 रकबा 62.04 बीघा(10.0686 हैक्टेयर) भूमि को मौका फर्द के संलग्न नक्शे में प्रार्थीगण की तरमीम बरंग 'हरे' तथा विप्रार्थीगण की तरमीम बरंग 'पीले' अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों तथा तहसीलदार सेड़वा के तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर युक्तियुक्त विचारण के उपरांत जांच प्रतिवेदन में दर्शित नक्शे अनुसर **राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2023/4230 दिनांक 19.12.2023 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.08.2023, खसरा नक्शा व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:52:09 IST
Reason: SelfAttested

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2023 / 4230 दिनांकः– 19-12-2023

प्रेषितः–

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला– बाड़मेर)

विषयः– राजस्व वाद संख्या 91 / 2021 अनवान लक्ष्मणराम वगैरह बनाम खुशालाराम वगैरह अन्तर्गत RLR धारा 136 में तरमीम दुरस्ती रिपोर्ट भेजने बाबत।

प्रसंगः– श्रीमान जी का आदेश क्रमांक / रीडर / 2023 / 1168 दिनांक 07.07.2023 के क्रम में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 91 / 2023 अनवान लक्ष्मणराम वगैरह बनाम खुशालाराम वगैरह में मौजा जाटों का बेरा के खसरा नंबर 683 / 390 रकबा 30 बीघा, खसरा नंबर 682 / 390 रकबा 62.04 बीघा, में अन्तर्गत धारा 136 RLR ACT में तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट आप द्वारा चाही थी। जिसकी भू. अभिलेख निरीक्षक सारला द्वारा दिनांक 14.08.2023 को मौका जांचकर वादी प्रतिवादी व पड़ोसियों मौतबरानों सहखातेदारों के रूबरू जांच रिपोर्ट तैयार की गई। जो इस पत्रांक के सलंग्न भिजवाई जा रही है।

सलंगनः– उरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:52:09 IST
Reason: SelfAttested

फर्द मौका (तरमीम दुरस्ती)

आज दिनांक 14-08-2023 को श्रीमान तहसीलदार सेड़वा के आदेश क्रमांक/क-37/2574-2575 दि० 11.07.2023 एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व आवेदन संख्या 91/2021 अन्तर्गत लक्ष्मणराम वगैरा बनाम खुशालाराम वगैरा अन्तर्गत धारा 136 RLR ACT मे तरमीम दुरस्ती हेतु मौका रिपोर्ट तैयार करने पटवारी हल्का सारला के साथ मौके पर आया।

ग्राम जाटों का बेरा के खसरा संख्या 683/390 रकबा 4.8562 है० किस्म बा० शामिल शामिल ~~खेता~~, पुनमा, मुका, ~~हेमा~~, लक्ष्मण, सता पिता वांका शेरू पत्नी वांका चौधरा, रेखा पिता जयरूपा जाति जाट सा० जाटों का बेरा तथा खसरा संख्या 682/390 रकबा 10.0686 है० किस्म बा० शामिल शामिल खुशालाराम, मागूराम पिता अखाराम रेखाराम, सीताराम पिता चिमनाराम जाति मेघवाल सा० पांजी का निवाण के नाम खातेदारी शामिल राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

ग्राम जाटों का बेरा (मूल ग्राम सारला) के मूल खसरा संख्या 390 कुल रकबा 92.04 बीघा (14.9248 है) मेसे प्रार्थीगण के पिता श्री जयरूपाराम को 30-00 बीघा (4.8562 है०) तथा विप्रार्थीगण के पिता श्री अखाराम को 62-04 बीघा (10.0686 है०) शामिल श्रीमान परगना अधिकारी बाड़मेर के आदेश सं० 952 दि० 14.07.1971 के द्वारा शामिल आवंटन हुई थी जिसकी लट्ठा ट्रेस मे तरमीम करते समय कब्जा काश्त से भिन्न तरमीम कर दी गई। प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 682/390 रकबा 10.0686 हेक्टर का अंकन कर दिया गया तथा विप्रार्थी के कब्जा काश्त में प्रार्थीगण के खसरा संख्या 683/390 रकबा 4.8562 हेक्टेयर का अंकन किया गया तथा लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम अनुसार तहसील ऑनलाइन के समय भू-नक्शा में तरमीम की गई। मौके पर उपस्थित खसरा संख्या 683/390 के खातेदारान, मौतबरान एवं पड़ोसियान ने बताया कि ख०न० 683/390 एवं 682/390 का कब्जा काश्त शामिल आवंटन के समय से ही वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार है इसलिये प्रार्थीगण के खसरा संख्या 683/390 रकबा 4.8562 है० की तरमीम वर्तमान कब्जा काश्त, रहवासी झौंपड़े एवं खेत मे बने ट्यूबवेल के अनुसार संलग्न नक्शे में लाल रंग से प्रस्तावित की गई है तथा खसरा संख्या 682/390 रकबा 10.0686 हेक्टेयर मे विप्रार्थीगण के कब्जा काश्त, ट्यूबवेल मय विद्युत कनेक्शन तथा अटैंडारों की तीन रहवासी ढाणियां बनी हुई है। विप्रार्थीगण के कब्जा काश्त अनुसार संलग्न नक्शे में तरमीम करके पीले रंग से प्रस्तावित की गई है। संलग्न नक्शा फर्द मौका तरमीम दुरस्ती का अभिन्न अंग रहेगा।

फर्द मौका तरमीम दुरस्ती पढ़कर सुनाई गई सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किये।

C.S.

तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा

14/8/23

ILR सारला

खेताराम
पटवारी (भू. अ.)
पटवार मण्डल सारला

Ex-Court
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेडवा

सरपंच सारला

मुकेश

लक्ष्मण राबताराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:52:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 16/07/2023 01:23:56 PM

जिला : बाड़मेर

तहसील : सेड़वा

भू. अ. नि. क्षेत्र : सारला

पटवार मंडल : सारला

ग्राम : जाटों का बेरा

संकेत

– खसरा संख्या 683/390 रकबा 4.0562 हैक्टे. की कब्जा काश्त प्रस्तावित तरमीम

– खसरा संख्या 682/390 रकबा 10.0686 हैक्टे. की कब्जा काश्त अनुसार प्रस्तावित तरमीम

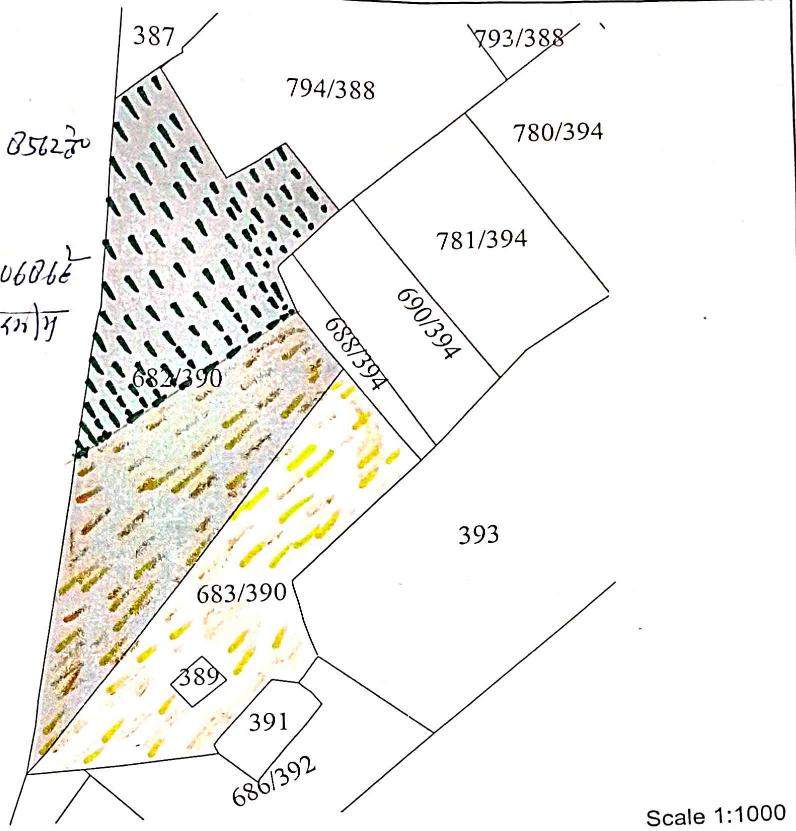

Scale 1:1000

Ex-Court

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

C.S.

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

खसरा संख्या :682/390 क्षेत्रफल : 10.0686 Hectare खाता संख्या : 35पुराना खाता संख्या :31

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [10.0686, 1.91]

1.) केशरी पत्नि चिमनाराम हिस्सा- 1/9 जाति- मेघवाल सा. पांधी का निवाण खातेदार हिस्सा-1/9 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सेड़वा

2.) खुशालाराम पुत्र अखाराम हिस्सा- 1/3 जाति- मेघवाल सा. पांधी खातेदार हिस्सा-1/3 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सेड़वा

3.) भागूराम पुत्र अखाराम हिस्सा- 1/3 जाति- मेघवाल सा. पांधी खातेदार हिस्सा-1/3 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सेड़वा

4.) रेखाराम पुत्र चिमनाराम हिस्सा- 1/9 जाति- मेघवाल सा. पांधी का निवाण खातेदार हिस्सा-1/9 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सेड़वा

5.) सीताराम पुत्र चिमनाराम हिस्सा- 1/9 जाति- मेघवाल सा. पांधी का निवाण खातेदार हिस्सा-1/9 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सेड़वा

14/08/2023

खेताराम
पटवारी (भू. अ.)
पटवार मण्डल सारला
तहसील सेड़वा

अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

14/8/23

ILR सारला

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:32:09 IST
Reason: SelfAttested

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null